न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर (अजमेर)

राजस्व वाद संख्या : 09/2019

पीठासीन अधिकारी : सुश्री देविका तोमर

श्रीमति शुभा जैन पत्नि ललित जैन जाति महाजन, उम्र 48 निवासी मकान नं0 137 आदर्शनगर अजमेर। – प्रार्थिया

बनाम

तहसीलदार पुष्कर जरिये राज्य सरकार।

– अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

।। निर्णय ।।

दिनांक : 19.8.19

प्रार्थिया द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादित आराजियात् ग्राम गनाहेड़ा तहसील पुष्कर जिला अजमेर में अवस्थित है कि खाता संख्या नया 1030 खसरा नम्बर 2072/2909 रकबा 0.11 हैक्ट0 किस्म बारानी–2, खसरा नं0 2073/2588 रकबा 0.02 हैक्ट0 किस्म बारानी 2 , खसरा नं0 2073/2910 रकबा 0.01 हैक्ट0 बारानी–2, खसरा नं0 2074/2908 रकबा 0.44 हैक्ट0 किस्म बारानी–2, खसरा नं0 2074/2911 रकबा 0.02 किस्म बारानी–2 है। उक्त कृषि आराजी पर दिनांकः 09/03/2019 को तहसीलदार पुष्कर के आदेश क्रमांक–राजस्व/19/08, की पालना में ग्राम गनाहेड़ा में उक्त विवादित खसरा नम्बरान पर सीमाज्ञान करवाया गया जिसमें सीमाज्ञान करने पर पाया गया कि उक्त खातेदारी क्षेत्र में खसरान में कच्ची झोपड़ियॉ व अर्ध निर्मित कमरे बने हुए है, जिसमें कोई आवास मौके पर नही है।

प्रार्थियॉ का प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रतिवादी पैरोकार सरकार का जवाब पेश हुआ। प्रतिवादी पैरोकार सरकार के जवाब को शामिल मिसल किया गया। पैरोकार सरकार जवाब में अवगत कराया गया कि उक्त विवादित आराजियत खाता संख्या नया 1030 खसरा नम्बर 2072/2909 रकबा 0.11 हैक्ट0 किस्म बारानी–2, खसरा नं0 2073/2588 रकबा 0.02 हैक्ट0 किस्म बारानी 2 , खसरा नं0 2073/2910 रकबा 0.01 हैक्ट0 बारानी–2, खसरा नं0 2074/2908 रकबा 0.44 हैक्ट0 किस्म बारानी–2, खसरा नं0 2074/2911 रकबा 0.02 किस्म बारानी–2 श्रीमती शुभा जैन पत्नि ललित जैन जाति महाजन के नाम खातेदारी दर्ज है। ग्राम गनाहेड़ा में उक्त विवादित खसरा नम्बरान पर सीमाज्ञान करवाया गया जिसमें सीमाज्ञान करने पर पाया गया कि उक्त खातेदारी क्षेत्र में खसरान में कच्ची झोपड़ियॉ व अर्ध निर्मित कमरे बने हुए है, जिसमें कोई आवास मौके पर नही है। प्रार्थियॉ की भूमि की पत्थरगढ़ी करने की अनुशंषा की गई।

Scanned by CamScanner

हमने प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र, अप्रार्थी पैरोकार सरकार का जवाब व बहस के दौरान प्रस्तुत तथ्यों का मनन किया गया। प्रार्थियॉ का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार पुष्कर को आदेश दिये जाते है कि विवादित आराजियत खाता संख्या नया 1030 खसरा नम्बर 2072/2909 रकबा 0.11 हैक्ट0 किस्म बारानी–2, खसरा नं0 2073/2588 रकबा 0.02 हैक्ट0 किस्म बारानी 2 , खसरा नं0 2073/2910 रकबा 0.01 हैक्ट0 बारानी–2, खसरा नं0 2074/2908 रकबा 0.44 हैक्ट0 किस्म बारानी–2, खसरा नं0 2074/2911 रकबा 0.02 किस्म बारानी–2 की पत्थरगढी करवाकर न्यायालय को पालना से अवगत करावे। आदेश की प्रति तहसीलदार पुष्कर को प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 19.06.2019 को मेरे द्वारा सरे इजलास लिखाया जाकर शामिल मिसल किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)

Scanned by CamScanner